न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध 124/2020

प्रार्थी :–

1. मुकने खां पुत्र बच्चू खां कौम मुसलमान साकिन चान्दीयों की ढाणी गोपडी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :– 1. सारिफो पत्नी मुकने खां उर्फ चानण खाँ उर्फ चानण खां कौम मसुलामन

2.शेरुखां पुत्र जोहब खां कौम मुसलमान

3.नेकूखां पुत्र बच्चू खां कौम मुसलमान

4.सुमानखां पुत्र बच्चूखां कौम मुसलमान

5.कमरदीनपुत्र धुलें खां कौम मुसलमान सभी निवासीयान चान्दियो की ढाणी गोपडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

6. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956
वास्ते रेकर्ड दुरुस्ती

उपस्थित :– 1. श्री चेलाराम प्रार्थीगण वकील

आदेश

दिनांक :–23.9.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा करनीसर से खेत खसरा संख्या 183/69 रकबा 121.00 बीघा भूमि प्रार्थी का 1/5 हिस्सा खातेदारी का दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज चानणं खां पुत्र बच्चू खां दर्ज है जिसे दुरूस्त कर मुकने खां पुत्र बच्चू खां जाति मुसलमान राजस्व रेकर्ड में शुद्व इन्द्राज करने का निवेदन किया गया है।

विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण की और से वकील ने जबाव पेश कर प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया गया। प्रार्थी व प्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने हेतु प्रमाणित प्रतिलिपि चांदियो की ढाणी संवत् 2070–73 पेश की जिसमें बच्चू खां के तीनों पुत्रों धुले खां, मुकने खां, नेकूखां पिसरान बच्चू खां का इन्द्राज है । प्रार्थी ने अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार कार्ड , बैक खाता की पासबुक, जॉब कार्ड व ग्राम पंचायत गोपडी का प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी का

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (S.D.O.) बालोतरा (बाड़मेर)

Scanned by CamScanner

नाम मुकने पुत्र बच्चुखां कौम मुसलमान दर्ज है । चानणखां पुत्र बच्चू खां व मुकने खां पुत्र बच्चू खां को मुसलमान एक ही व्यक्ति है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा करनीसर के खेत खसरा संख्या 183/69 रकबा 121.00 बीघा भूमि प्रार्थी का 1/5 हिस्सा का राजस्व रेकर्ड में चानंण खां पुत्र बच्चु खां को दुरूस्त कर उसकी जगह मुकने खां पुत्र बच्चु खां कौम मुसलमान अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.9.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner